

सिराहा

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>देरना</u> पंचमं <u>सौर</u> मू०अ०नि०युक्त <u>सिराहा</u> तहसील- <u>सिराहा</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	18	किला 12	9.2941	जगरावत लाल कुम जेरावत धाहो राजस्थान मरुभूमि अधीन है 50/5	जगरावत लाल कुम जेरावत धरम, राजस्थान अधीन है 50/5	
<p>मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् <u>1425</u> <u>2578 (2019-2020)</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मक्ष श्रवण योग्य है।</p> <p><u>सिराहा</u></p> <p><u>सौर</u></p> <p>दिनांक <u>24/12/25</u></p> <p>ह० पटवारी</p> <p>पंचमं <u>सौर</u></p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p> <p><u>सौर</u></p> <p>ह० मू०अ०नि०</p> <p><u>सिराहा</u></p> <p>दिनांक <u>24/12/24</u></p> <p>ह० मू०अ०नि०</p> <p><u>सिराहा</u></p>		<p>प०हल्का <u>सौर</u></p> <p>मू०अ०नि० <u>सिराहा</u></p> <p>की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p> <p><u>सौर</u></p> <p>ह० उपखण्ड अधिकारी</p> <p>उपखण्ड कार्यालय आबूरोड</p> <p>ह० उपखण्ड अधिकारी</p>